

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 09/2023 बउनवानी कमला मीना बनाम लो.सू.अधि.एवं तहसीलदार मलारना डूंगर पुत्री श्री रामकरण मीना निवासी बीजी पम्प शिव मंदिर के पास रेल्वे कॉलोनी स0मा0

GCMS No-2023/13

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
22.2.2023	<p>पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्त नियत दिनांक को उपस्थित नहीं। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूंगर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्त द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 29.7.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूंगर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र में उल्लेखित निम्नांकित सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ग्राम गम्भीरा में सम्पूर्ण चरागाह भूमि में किस किस का कब्जा है और उस पर आपके द्वारा क्या क्या कार्यवाही की गयी इस कार्यवाही की सम्पूर्ण दस्तावेज की प्रतिलिपि उपलब्ध करावे।</li> <li>2. चरागाह भूमि की कोई पुरानी फोटो प्रति उपलब्ध करावे और वर्तमान की फोटो कोपी भी उपलब्ध करावे।</li> <li>3. ग्राम गम्भीरा में कितने पट्टे रजिस्ट्रेशन हुए हैं और कितने बकाया हैं उनके रिकार्ड की प्रतिलिपि उपलब्ध करावे।</li> </ol> <p>प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा अपीलान्त को अन्दर मियाद उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूंगर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।</p> <p>नियत पेशी पर अपीलान्त उपस्थित नहीं, दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूंगर के जवाब नोटिस क्रमांक / रीडर/सू0अधि0/2023/1292 दिनांक 8.2.2023 से अवगत कराया कि अपीलान्त द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 29.7.2022 के बिन्दु संख्या 1 में चाही गयी सूचना अपीलान्त को तहसीलदार मलारना डूंगर के पत्रांक 935 दिनांक 6.9.2022 से उपलब्ध करवायी जा चुकी है। अतः अपील खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।</p> <p>पैरोकार द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपीलान्त द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 29.7.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1 में चाही गयी सूचना तहसीलदार मलारना डूंगर द्वारा जरिये पत्रांक 935 दिनांक 6.9.2022 से अपीलान्त को उपलब्ध करवायी जा चुकी है तथा शेष बिन्दु संख्या 2 की सूचना प्रश्नात्मक होने तथा बिन्दु संख्या 3 की सूचना का संबंध तहसील कार्यालय से नहीं होने एवं चाही गयी सूचना भी प्रश्नात्मक होने के कारण अपीलान्त को उपलब्ध नहीं करवायी गयी है जिसके संबंध में अपीलान्त को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इस प्रकार कार्यालय में उपलब्ध सूचना अपीलान्त को उपलब्ध करवायी जा चुकी है इसलिए अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जायेगी। आदेश खुले न्यायालय में सुनवाया गया।</p>

(सुरेश कुमार ओला)  
जिला कलेक्टर  
सवाई माधोपुर